

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झालावाड
पीठासीन अधिकारी : दाताराम आरए.एस
प्रकरण सं. 60/ 2021 (राज0 गुण्डा अधि0) राजस्थान सरकार बनाम गजेन्द्र
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2021/00016)

राजस्थान सरकार जयें थानाधिकारी सारेला कला द्वारा पुलिस अधीक्षक झालावाड
सायल..

बनाम

गजेन्द्र पुत्र लक्ष्मण जाति कोली निवासी सारेलाकला थाना सारेलाकला
गैरसायल.

इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1973 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही
बाबत ।

उपस्थित :

- 1 सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी
- 2 गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेश नरसल
निर्णय

दिनांक 24 02 2021

- 1 यह इस्तगासा थानाधिकारी सारेला कला द्वारा जयें पुलिस अधीक्षक झालावाड राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1973 की धारा 3 के अन्तर्गत गजेन्द्र पुत्र लक्ष्मण जाति कोली निवासी सारेलाकला थाना सारेलाकला के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु न्यायालय में पेश किया गया है ।
- 2 संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि थानाधिकारी सारेला कला द्वारा जयें पुलिस अधीक्षक झालावाड द्वारा गैरसायल गजेन्द्र पुत्र लक्ष्मण जाति कोली निवासी सारेलाकला थाना सारेलाकला के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन हेतु उनके पत्र संख्या 4549 दिनांक 03 11 2020 द्वारा इस्तगासा न्यायालय इस आशय का पेश किया गया कि गैर सायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके विरुद्ध थाना सारेलाकला जिला झालावाड में निम्न मुकदमें दर्ज हैं :-

क्र0स0	इस्तगासा पेश करने की दिनांक	धारा	प्रकरणों की स्थिति
1	107/ 04 06 2018	13 आरपीजीओ	100/- जुमाना
2	113/ 07.06 2016	13 आरपीजीओ	100/- जुमाना

- उक्त दानों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा निर्णय पास्ति कर जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है । इसके बावजूद भी वह अन्य अवैध कार्य एवं लडाईं झगडा, मास्पीट आदि आपराधिक गतिविधियों मे लिप्त रहता है । गैर सायल की आम शोहस्त यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहसी, है कि आमजन इसकी अपराधों की रिपोर्ट करने या इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते हैं, इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नहीं हो रहे हैं । इसका स्वच्छन्द रहना समाज के लिए परिसंक्रामक है । अतः गैर सायल के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया ।
- 3 प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जर्जे नोटिस तलब किया गया । गैर सायल निर्धास्ति दिनांक को उपस्थित हुआ गैर सायल की ओर से वकील श्री बृजेश नरसल द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया गया । प्रक्रिया पूर्ण होने पर बहस अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गई ।
 - 4 पेरेकर सरकार द्वारा अपनी बहस में इस्तगासे में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुए कथन किया गैर सायल अवैध कार्य एवं लडाईं झगडा, मास्पीट आदि आपराधिक गतिविधियों मे लिप्त रहता है । गैर सायल की आम शोहस्त यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहसी, है कि आमजन इसकी अपराधों की रिपोर्ट करने या इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते हैं इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नहीं हो रहे हैं । इसका स्वच्छन्द रहना समाज के लिए परिसंक्रामक है । अतः गैर सायल के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे ।
 - 5 वकील गैर सायल द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत किये गये जवाब को दोहरते हुए अनुरोध किया गया कि गैर सायल एक गरीब व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, गैर सायल ने उसके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों को स्वीकार कर इस्तगासे के जुर्म को स्वीकार किया । अब वह शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहा है, अब भविष्य में कभी भी अपराध नहीं करेगा । गैर सायल की परिस्थितियों को देखते हुए नस्ती का रूख अपनाते हुए प्रकरण ड्राप फस्माने की कृपा करें
 - 6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया ।
 - 7 हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) में गुण्डा शब्द को परिभाषित किया गया है उक्त धारा के खण्ड (v) में उपबन्धित अनुसार राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश (13 आस्पीजीओ) के अधिन 2 से अन्यून बार दोष सिद्ध व्यक्ति "गुण्डा" अभिप्रेत है । हस्तगत प्रकरण में समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रमापित होता है कि गैर सायल के विरुद्ध कुल 2 प्रकरण धारा 13 आस्पीजीओ में दण्डनीय दर्ज हुए हैं, जिनमें सभी में गैर सायल को दोष सिद्ध कर न्यायालय द्वारा जुर्माना अधिरेपित किया गया है । अतः इस्तगासे में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्यों एवं गैर सायल के द्वारा जुर्म स्वीकार करने के आधार पर इस्तगासा स्वीकार किया जाकर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम

की धारा 3 के अन्तर्गत सन्तुष्ट होकर मैं गैर सायल को गुण्डा घोषित करता हूँ और निम्न आदेश पास्ति करता हूँ।

8

आदेश

गजेन्द्र पुत्र लक्ष्मण जाति कोली निवासी सारेलाकलां थाना सारेलाकलां को दिनांक 01.03.2021 से 90 दिन (दिवस) के लिए जिला झालावाड़ की सीमाओं से निष्क्रिय किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस अवधि में गैरसायल पुलिस थाना अन्ता जिला बारं के थानाधिकारी को प्रतिदिन थानाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होकर अपनी गतिविधियों की सूचना देता रहेगा। गैर सायल न तो कोई घातक हथियार अपने पास रखेगा और ना ही क्रम में लेगा, ना किसी प्रकार के मादक द्रव्य मदिर, अफीम, गोंजा, चरस, भांग आदि क्र या विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु क्र कब्जा अपने पास रखेगा। किसी शैक्षिक संस्था, धार्मिक संस्था, मेला हाट आदि के समीपस्थ दूरी के भीतर उपस्थित नहीं होगा। थानाधिकारी गंगधार गैर सायल को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को थाना अन्ता जिला बारं की सीमाओं में पहुँचाने की व्यवस्था करें।

थानाधिकारी थाना अन्ता जिला बारं गैर सायल की उनके यहाँ उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवायेगे। निष्क्रियन की अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी थाना अन्ता जिला बारं, गैर सायल के वापस लौटने की सूचना थानाधिकारी सारेलाकलां जिला झालावाड़ एवं इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी की जावे तथा प्रति सूचनार्थ जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़/बारं एवं पुलिस अधीक्षक झालावाड़/बारं को दी जावे।

(दातारम)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

झालावाड़

9 निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दातारम)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

झालावाड़